"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-43/2011/नौ/55.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 152 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-06/2007/नौ/55, दिनांक 14 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी तथा होम्योपैथी, छत्तीसगढ़ में पदस्थ, विहित अर्हता धारण करने वाले संयुक्त संचालक को समस्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के भाग सोलह-अ के प्रयोजन के लिए, नियम 160-अ के अधीन अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 2-43/2011/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 20th December 2011

NOTIFICATION

No. F-2-43/2011/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Rule 152 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and in supersession of this Department's Notification No. F-21-06/2007/IX/55, dated 14th January, 2008, the State Government, hereby appoints the Joint Director posted at Directorate, Ayurved Yoga and Naturopathy Unani and Homeopathy Chhattisgarh having prescribed qualifications, as the Licensing Authority for the whole State of Chhattisgarh and appoints as Approving Authority under Rule 160-A for the purpose of Part XVI-A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.